पंजीकृत/ई–मेल

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाष 0551–2580010 ई–मेल: ceogida-up@up.gov.in

पत्रांक: /सम्पत्ति–नौ/कार्या0ज्ञाप/2023–24, दिनांक: 29 जून,2023

कार्यालय–ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी बोर्ड की दिनांक 22.05.2022 को सम्पन्न 58वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 58:7 पर लिये गये निर्णय के क्रम में गीडा द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं यथा औद्योगिक योजना, व्यवसायिक योजना, आवासीय योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं संस्थागत योजना में गीडा की पूर्व निर्धारित दरों पर ही वार्षिक समय विस्तारीकरण सुविधा अनुमन्य होगी एवं साथ ही, आवश्यकतानुसार, आवंटी के अनुरोध एवं प्रपत्रों से संतुष्ट होने की दशा में न्यूनतम 03 माह का भी समय विस्तारण अनुमन्य किया जा सकेगा, जिसके लिए जो भी नियमानुसार वार्षिक समय विस्तारण शुल्क देय है, उसका 1/4 भाग आवंटी द्वारा भुगतान किया जायेगा। समय विस्तारीकरण समाप्त होने के पश्चात, आवंटी का यह दायित्व होगा की जो भी उसके पक्ष में समय विस्तारण अनुमन्य किया गया है, उक्त अवधि में पूर्णता/अधिभोग (Completion/ Occupancy) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इकाई के उत्पादन दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से गीडा द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं में गीडा द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये ऐसे भूखण्ड जिनका भवन मानचित्र नई भवन विनियमावली–2022 की अधिसूचना की तिथि 28.11.2022 के पश्चात स्वीकृत किया गया है अथवा भविष्य में किये जाने वाले आवंटनों पर लागू मानी जायेगी।

इस आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 962 दिनांक 14.06.2023 तत्सीमा तक संशोधित माना जाए।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पत्रांक : 1739/उपरोक्त/दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अध्यक्ष, गीडा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
4. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त उद्यमियों के मध्य इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
6. महा प्रबन्धक (वित्त), गीडा, गोरखपुर।
7. सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा, गोरखपुर।
8. समस्त अनुभाग प्रभारी, गीडा, गोरखपुर।
9. प्रभारी (कम्प्यूटर), गीडा, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल गीडा की वेबसाईट पर अपलोड कराये।
10. समस्त सहायक/कनिष्ठ सहायक/पटल प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग, गीडा, गोरखपुर।
11. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
12. गार्ड फाईल हेतु।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।